

उत्तर प्रदेश शासन  
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2  
संख्या-31/2015/सीपी 660/84-2-2015-सीपी 2/2009  
लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय जाप

श्री राज्यपाल नीचे दिये गये विवरण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष/सामान्य सदस्य/महिला सदस्य को उक्त विवरण के स्तम्भ-3 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्ष/सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर स्तम्भ-4 में अंकित आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	नाम, पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित जिला फोरम का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री जगदीशवर सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली सम्प्रति सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी।	जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी।	स्वयं के अनुरोध पर
2	श्री रामजीत सिंह यादव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भदोही सम्प्रति सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली।	जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली	प्रशासनिक आधार पर
3	श्री जनार्दन सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ सम्प्रति सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, भदोही।	जिला उपभोक्ता फोरम, भदोही।	स्वयं के अनुरोध पर
4	श्री राम नारायण मौर्या, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर सम्प्रति सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ।	जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ	स्वयं के अनुरोध पर
5	श्री राधेश्याम सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मथुरा।	जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर	स्वयं के अनुरोध पर
6	श्री विजय प्रकाश मिश्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अम्बेदकरनगर	जिला उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)	स्वयं के अनुरोध पर
7	श्री बृजेश चन्द्र सक्सेना अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सीतापुर	जिला उपभोक्ता फोरम, बरेली प्रथम (दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)	स्वयं के अनुरोध पर

8	श्री राज कुमार-11, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ।	जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर	स्वयं के अनुरोध पर
9	श्री विजय कुमार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शाहजहाँपुर।	जिला उपभोक्ता फोरम, बुलन्दशहर	स्वयं के अनुरोध पर
10	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया।	जिला उपभोक्ता फोरम, शाहजहाँपुर	स्वयं के अनुरोध पर
11	श्रीमती बिमलेश यादव, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर सम्प्रति जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत से सम्बद्ध	सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत	स्वयं के अनुरोध पर
12	श्रीमती निर्मला सिंह, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत सम्प्रति जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर से सम्बद्ध	महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर	स्वयं के अनुरोध पर

2 उपर्युक्त आदेश सिविल अपील सं0-6733/2001 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आनंद प्रकाश सोलंकी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2003 के अधीन चयन समिति की संसृति के उपरांत व्यापक जनहित में निर्गत किये जा रहे हैं।

3 उपर्युक्त स्थानान्तरित अध्यक्षगण/सामान्य सदस्य/महिला सदस्य को एतद्वारा यह निदेशित किया जाता है कि वह कृपया अपने स्थानान्तरित स्थान पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा तदुपरान्त राज्य आयोग एवं शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

सुधीर गर्ग  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

- (4) जिलाधिकारी (वाराणसी/चन्दौली/भदोही/मऊ/मथुरा/गौतमबुद्धनगर/अम्बेडकरनगर/गोरखपुर/सीतापुर/बरेली/सुल्तानपुर/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/आजमगढ/बलिया /बागपत)।
- (5) जनपदीय कोषाधिकारी (वाराणसी/चन्दौली/भदोही/मऊ/मथुरा/गौतमबुद्धनगर/बलिया अम्बेडकरनगर/गोरखपुर/सीतापुर/बरेली/सुल्तानपुर/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/आजमगढ//बागपत)।
- (6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0।
- (7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, 30प्र0।
- (8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित अध्यक्षगण। (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।
- (10) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (वाराणसी/चन्दौली/भदोही/मऊ/मथुरा/गोरखपुर/गौतमबुद्धनगर/अम्बेडकरनगर/ सीतापुर/बरेली प्रथम/सुल्तानपुर/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/आजमगढ/बलिया/बागपत)। द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।
- (11) गार्ड बुक।

आजा से

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।